राजस्थान–सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर–खण्ड, उदयपुर

कमांकः खअ/उदय/बजरी/नीलामी/2020/ दिनांकः

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गोर्वधन विलास स्थित खनिज भवन परिसर में जब्तशुदा बजरी कुल मात्रा 158.00 मे.टन की नीलामी हेतु सीलबन्द लिफाफे में निविदा दरे आमंत्रित की जाती है।

उक्त जब्तशुदा बजरी स्टॉक मात्रा 158.00 मे.टन की नीलामी में भाग लेने हेतु कार्यालय से नीलामी आवेदन प्रपत्र राशि रू. 200/– (दौ सो रूपये मात्र) का डी.डी. या चालान खनि अभियन्ता, उदयपुर के नाम पर जमा करवा दिनांक 01.12.2020 से 04.12.2020 तक कार्यालय समय में कमरा नम्बर 214 में प्राप्त किया जा सकेगा। सीलबन्द निलामी आवेदन पत्र में अपनी दरे अंकित कर दिनांक 07.12.2020 को दो बजे तक कार्यालय में जमा कराये जा सकेंगे। प्राप्त निविदाएं उसी दिन सांय 4:00 बजे गठित कमेटी के समक्ष खोली जावेगी। सीलबन्द निविदा के साथ राशि रू. 2500/– का बैंक ड्राफ्ट खनि अभियन्ता, उदयपुर के पक्ष में धरोहर राशि के लिए संलग्न करना होगा।

क.स.	निलामी हेतु उपलब्ध बजरी जहां पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनो में)	बयाना/अनुमानित राशि	न्यूनतम बोली राशि
1	खनिज भवन, गोर्वधन विलास परिसर, उदयपुर	158.00	2500/–	1,18,500/–

निविदा की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एंव नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से क्षेत्र का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर खनिज भवन, गोर्वधन विलास, उदयपुर के कमरा नं. 214 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 07.12.2020 (सायंकाल 2.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, उदयपुर के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

Scanned by CamScanner

3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एंव मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में मौके पर जाकर की जा सकती है।
5. जप्तशुदा बजरी मौके पर जैसी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 07.12.2020 को सायंकाल 4:00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा न. 214 में खोली जावेगी। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथी से नियम समयावधि में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एंव मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/TAX अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंधि में यदि कोई उज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार नीलामी हेतु गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृत प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के खनिज बजरी निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 3 दिवस सहित अधिकतम 7 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 158.00 मै.टन से कम मात्रा में स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनो के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक का बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संवंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एंव अधीक्षण खनि अभियन्ता (सर्तकता) को व्हाट्स एप पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनो की फोटो एंव कम्प्यूटीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वनज पर्ची क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित को व्हाट्स एप पर भेजने के पश्चात् ही वाहनो को रवाना किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।

18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो वाहनो की तोल पर्चियां एंव भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

19. स्टॉक को नियत समय में ही नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनो के पंजीयन की प्रति एंव वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनो से अनुमत नहीं होगा।

21. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।

22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनो को प्राथमिकता दी जावेगी।

Dmurus
14-1-20

हस्ताक्षर निविदादाता

(जिनेश हुमड)
खनि अभियन्ता,
उदयपुर।

कमांकः खअ/उदय/वजरी/नीलामी/2020/570-575 दिनांकः 11-11-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

19025
14-12-2020

1. निदेशक, खान एंव भू—विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. निदेशालय, खान एंव भू—विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर की विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक(खान), खान एंव भू—विज्ञान विभाग, उदयपुर—जोन, उदयपुर।
5. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एंव भू—विज्ञान विभग, उदयपुर—वृत, उदयपुर।
6. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एस.पी.पी. पोर्टल एंव विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(जिनेश हुमड)
खनि अभियन्ता,
उदयपुर।

Scanned by CamScanner